रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED NO. D (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 442] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 14, 1977/आश्विन 22, 1899

No. 442] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 1977/ASVINA 22, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

ORDER

New Delhi, the 14th October 1977

S O 719(E)—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Pulses and Edible Oils (Storage Control) Order, 1977, namely —

1. (1) This Order may be called the Pulses and Edible Oils (Storage Control) Amendment Order, 1977.

(2) It shall come into force at once

2 In clause 4 of the Pulses and Edible Oils (Storage Control) Order, 1977, in the tabular portion, in the entries relating to "(11) Edible oils including vanaspati", in the column under the heading "Wholesaler", for the brackets and words "(for all edible oils, excluding vanaspati taken together)", the brackets and words "(for all edible oils, except those imported from abroad and vanaspati, taken together)" shall be substituted

[No F 26(16)/77-ECR]

T. BALAKRISHNAN, Jt Secy.

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1977

का० आ० 719(अ) —आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार दाल और खाने योग्य तेल (भण्डारण नियत्रण) आदेश, 1977 में सशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् —

1. (1) इस आदेश का नाम दाल तथा खाने योग्य तेल (भण्डारण नियत्रण) सशोधन आदेश, 1977 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. दाल तथा खाने योग्य तेल (भण्डारण नियत्रण) आदेश, 1977 के खण्ड 4 के सारणी भाग मे "(ii) खाने योग्य तेल, जिसमे वनस्पति भी है" से संबंधित प्रविष्टियो मे 'थोक विक्रेता' शीर्षक के अन्तर्गत स्तम्भ में, कोष्ठको तथा शब्दो "(सभी खाने योग्य तेल, जिसमे वनस्पति नही है, कुल मिलाकर)" के स्थान पर कोष्ठक तथा शब्द "(सभी खाने योग्य तेल, जिसमे विदेश से आयातित तेल तथा वनस्पति नही है, कुल मिलाकर)" रखे जाएगे ।

[सं० फा० 26(16)/77-ईसीआर]

टी० बालकृष्णन, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977